UPBJ010065292023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– सीमा वर्मा, (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP-1662

चुनाव याचिका संख्या–07/2023

निधि वर्मा **बनाम** पर्णिता आदि

17–07–2026

पत्रावली पेश हुई।

पुकार की गयी। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। पूर्व तिथि पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र ग–51 पर सुना जा चुका है। उक्त प्रार्थनापत्र पर आपत्ति ग–53 दाखिल की गयी है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र ग–51:–

प्रार्थिनी/वादनी निधि वर्मा की ओर से प्रार्थनापत्र ग–51 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त वाद में वादनी द्वारा अपना साक्ष्य शपथपत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 दि0 09–04–2024 को प्रस्तुत कर दिया था जो पत्रावली पर कागज सं0 क–45 है, परन्तु उक्त शपथपत्र के साथ भूलवश शपथपत्र में वर्णित एनेक्चर्स संलग्न नहीं किये जा सके थे, वादनी पूर्णतः कानून से अनभिज्ञ है। वादनी को उक्त भूल का ज्ञान अधिवक्ता प्रतिवादी के द्वारा आपत्ति करने से हुआ है। वादनी पूर्व में दाखिल साक्ष्य शपथपत्र क–45 को नोट प्रेस करते हुये यह फ्रेश साक्ष्य शपथपत्र मय एनेक्चर्स प्रस्तुत कर रही है जो पत्रावली पर लिया जाना अति आवश्यक है। तदनुसार प्रार्थिनी /वादनी निधि वर्मा द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र मय एनेक्चर्स को पत्रावली पर लेने के आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है। साथ में शपथपत्र मि0 निधि वर्मा अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 ग–52 दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र पर आपत्ति ग–53 दाखिल कर कथन किया गया है कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो कानूनन नाकिस है और व्यय सहित निरस्त होने योग्य है। वादी द्वारा क–45 साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया जो अपूर्ण था जिस पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति की गयी इस पर वादी द्वारा अन्य प्रार्थनापत्र उक्त शपथपत्र में उल्लेखित एनेक्सचर दाखिल करने हेतु प्रस्तुत किया जो प्रतिवादी की आपत्ति पर खण्डित हुआ। इसके पश्चात वादी द्वारा प्रार्थनापत्र हाजा गुजारा है जिससे पूर्व दाखिल साक्ष्य शपथपत्र

क–45 को नोट प्रेस कर पुनः शपथपत्र दाखिल करने की प्रार्थना की गयी है। क–45 हरगिज कोई दस्तावेज नहीं है बल्कि वादी द्वारा न्यायालय में दाखिल किये गये मुख्य परीक्षा का शपथपत्र है जिसका प्रभाव न्यायालय के समक्ष मौखिक रूप से किये गये साक्ष्य के समान है जिसे किसी भी स्थिति में समाप्त अथवा नोट प्रेस नहीं किया जा सकता और न ही एक शपथपत्र साक्ष्य दाखिल रहते हुये दूसरा साक्ष्य शपथपत्र पहले शपथपत्र को नोट प्रेस कर प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त प्रार्थनापत्र किस प्राविधान में प्रस्तुत किया है उल्लेखित नहीं किया। प्रार्थनापत्र आधारहीन है। प्रार्थनापत्र खण्डित किया जाकर प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न साक्ष्य शपथपत्र वादी को वापिस होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थिनी/वादनी निधि वर्मा द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र मय एनेक्चर्स को पत्रावली पर लिये जाने के आदेश पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिनी /वादनी द्वारा प्रार्थनापत्र इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि शपथपत्र संख्या क–45 के साथ भूलवंश एनेक्चर्स संलग्न नहीं किये जा सके, जिनका ज्ञान वादनी को प्रतिवादी द्वारा आपत्ति करने पर हुआ और वह साक्ष्य में दाखिल शपथपत्र क–45 को नोट प्रेस करते हुये फ्रेश साक्ष्य शपथपत्र संलग्न कर रही है, जिसे रिकार्ड पर लेने की प्रार्थना की गयी है। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत आपत्ति के अनुसार वादनी द्वारा क–45 शपथपत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति की गयी थी, जिस पर वादनी द्वारा अन्य प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र में उल्लेखित एनेक्चर दाखिल करने के लिये प्रस्तुत किया गया जो कि प्रतिवादी की आपत्ति पर खण्डित हुआ है। वादनी पुनः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर क–45 जो कि मुख्य परीक्षा का शपथपत्र है और न्यायालय के समक्ष मौखिक रूप से किये गये साक्ष्य के समान है जिसे किसी भी स्थिति में समाप्त अथवा नोट प्रेस नहीं किया जा सकता और न ही एक शपथपत्र के रहते हुये दूसरा साक्ष्य का शपथपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त करते हुये वादनी द्वारा प्रस्तुत फ्रेश शपथपत्र को वापिस किये जाने की प्रार्थना की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से व वादनी के कथनों से भी यह स्पष्ट है कि वादनी की ओर से दाखिल शपथपत्र क–45 साक्ष्य में दाखिल किया गया है तथा उसके उपरान्त प्रतिवादी द्वारा किसी स्तर पर आपत्ति किये जाने के पश्चात वादनी द्वारा प्रार्थनापत्र ग–46 के माध्यम से फ्रेश एनेक्चर तालिका को शपथपत्र के साथ शामिल किये जाने की याचना की गयी थी, जिस पर प्रतिवादी की ओर से आपत्ति की गयी थी और पूर्व न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष को सुनने के पश्चात आदेश दिनांकित 06–03–2025 पारित किया, जिसमें न्यायालय द्वारा पाया गया था कि याची द्वारा अपने साक्ष्य शपथपत्र के साथ एनेक्चर दाखिल नहीं किये गये है। अब इस स्तर पर उनके साक्ष्य शपथपत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन या कमी को पूरा करने के लिये एनेक्चर दाखिल करने का आधार

पर्याप्त नहीं है और तदानुसार याची/वादनी का प्रार्थनापत्र ग–46 निरस्त किया गया था। अब वादनी के द्वारा उन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र ग–51 प्रस्तुत किया गया है तथा पूर्व में दाखिल शपथपत्र को वापिस लेने व फ्रेश शपथपत्र के साथ दाखिल एनेक्चर को रिकार्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की गयी है परन्तु चूँकि पूर्व न्यायालय द्वारा वादनी के इन्हीं आधारों पर प्रार्थनापत्र ग–46 को निरस्त किया गया है और यह भी स्पष्ट है कि शपथपत्र क–45 दाखिल किया गया था, जिसमें संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थिनी/वादनी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/वादनी का प्रार्थनापत्र ग–51 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 13–08–2026 को पेश हो।

दि0–17–07–2026

(सीमा वर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
बिजनौर।
JO CODE UP-1662

Digitally signed by SEEMA VERMA
Date: 2026.07.17 15:17:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court